HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
NOTIFICATION

DATED: ALLAHABAD: MARCH 15, 2016

No. 358 /JR(S)/2016

Pursuant to U.P. Government Notification/Appointment No. **88/II-4-2016-32(2)2013T.C.** dated **08.03.2016** Sri **Shivendra Kumar Mishra** candidate of Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Allahabad in the vacant court.

BY ORDER OF THE COURT

sd/-
(SHEO KUMAR SINGH-I)
REGISTRAR GENERAL

No. 125/JR(S)/2016: Allahabad: Dated: March 15, 2016

Copy forwarded for information & necessary action to:

1. The Executive Chairman, U.P. State Legal Services Authority, Third Floor, Jawahar Bhawan Annexe, Lucknow-226001.
2. Pramukh Sachiv, Niyukti, U.P. Shasan, Lucknow.
3. Pramukh Sachiv, Nyay Evam Vidhiparamarshi, Uttar Pradesh Shasan, Lucknow.
4. The Director, Institute of Judicial Training & Research, Vineet Khand, Gomti Nagar, U.P. Lucknow requesting him to impart Induction Training to aforesaid newly appointed Civil Judge, Junior Division in their wisdom. (Information available on E-mail).
5. The Senior Registrar, High Court, Lucknow Bench, Lucknow . (Information available on E-mail).
6. The Additional Director, Treasury, Camp Office, First Floor, New Treasury Building, Kutchery Road, Allahabad.
7. The District & Sessions Judge, Allahabad along with copy of U.P. Government Appointment/Notification No. **88/II-4-2016-32(2)2013T.C.** dated **08.03.2016** (Information available on E-mail).

The District & Sessions Judge, Allahabad subordinate to the High Court of Judicature at Allahabad is directed that to permit the newly appointed candidate Civil Judge, Junior Division, to take over charge on the post.

The certificate of taking over charge by the candidate Civil Judge Junior Division be sent to the Assistant Registrar (Services), High Court, Allahabad.

The District & Sessions Judge, Allahabad subordinate to the High Court of Judicature at Allahabad is directed to make arrangement for field training in the judgeship for newly recruited/ appointed candidate of Civil Judge, Junior Division as per instruction contained in letter No.

416/A.R.(S)/3-A/2009 dated 03.09.2009.

8.

a) Sri Shivendra Kumar Mishra, S/o Sri Ravindra Prasad Mishra, R/o H.No. S-3A, C/o Maan Singh Rathore, School Block, Shakarpur, Laxminagar, Delhi - 110092

You shall proceed to take over charge of his place of posting immediately.

Newly appointed candidate Civil Judge, Junior Division should note that his appointment to the post of Civil Judge, Junior Division in U.P. Nyayik Sewa is purely temporary and until they are absorbed and appointed as permanent Civil Judge, Junior Division. You shall be subjected to general conditions of services applicable to temporary Government servant contained in Government Notification No. 20/I/74-Niyukti-3, dated June 11, 1975 and also under the condition laid down in U.P. Government Notification/Appointment No. 88/II-4-2016-32(2)2013T.C. dated 08.03.2016.

9. The Publication Secretary, U.P. Judicial Services Association Office, A-1, River Bank Judges Colony, Lucknow.
10. The Senior Registrar (Judicial), High Court, Allahabad.
11. The Registrar (Judicial) (Confidential), High Court, Allahabad.
12. The Officer on Special Duty (Judicial) (Litigation), High Court, Allahabad
13. The Officer on Special Duty (Computer)/ In charge Computer Centre, High Court, Allahabad.
14. The Section Officer (Admin.A-3) Section, High Court, Allahabad.
15. The Section Officer (Admin. H) Section, High Court, Allahabad
16. The Director, Printing & Stationary, U.P. Allahabad for publication of the notification in the next issue of the Gazette.
17. P.S. to Hon'ble Administrative Judge, Allahabad with the request to place this notification before His Lordship for kind perusal (Information available on E-mail).

BY ORDER OF THE COURT

sd/-
(RAJIV SHARMA)
JOINT REGISTRAR (JUDICIAL) (SERVICES)

(8)

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग–4
संख्या–88/दो–4–2016–32(2)2013टी.सी.
लखनऊः दिनाँकः 08 मार्च, 2016

विज्ञप्ति/नियुक्ति

लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा आयोजित उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा, 2013 के आधार पर चयनित अभ्यर्थी श्री शिवेन्द्र कुमार मिश्र आत्मज श्री रवीन्द्र प्रसाद मिश्र, अनुक्रमांक–(025321), मकान नं0–एस–3ए, द्वारा मानसिंह राठौर, स्कूल ब्लाक शकरपुर, लक्ष्मीनगर, दिल्ली–110092 को वेतनमान रूपये 27700–770–35090–920– 40450–1080–44770 में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपरोक्त अभ्यर्थी की तैनाती के आदेश अलग से मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जायेंगे तथा उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

किशन सिंह अटोरिया
प्रमुख सचिव

संख्या–88(1)/दो–4–2016–32(2)/2013टी.सी.,तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु भरे गये प्रपत्रों (संलग्नकों सहित) एवं चिकित्सा परिषद की मेडिकल रिपोर्ट्स मूलरूप में संलग्न कर इस मन्तव्य के साथ प्रेषित कि उक्त अभ्यर्थी मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय–सीमा में बिना समुचित कारण के अपना योगदान सेवा में प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी स्थिति से शासन को अविलम्ब अवगत कराया जाय। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी की तैनाती के संबंध में मा0 न्यायालय के आदेश की प्रति तथा अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि/समय आदि की सूचना भी शासन को कृपया तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(2) अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0, शिविर कार्यालय, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।

(3) सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या–538/1/ई–2/2013–2014, दिनाँक 01–11–2014 के संदर्भ में।

(4) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(5) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को उ0प्र0 गजट के आगामी हिन्दी तथा उर्दू अंक में प्रकाशनार्थ।

(6) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।

(7) निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0, गोमतीनगर, लखनऊ।

(8) संबंधित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उनकी यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। अभ्यर्थी अपनी तैनाती के संबंध में महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जाने वाले तैनाती आदेश के अनुसार मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा के अन्दर अपने पद का कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें। यदि बिना समुचित कारणों के वह मा0 न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा में अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा ऐसी स्थिति में इस सेवा में नियुक्ति के लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस सेवा में कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक नहीं है तो उसकी लिखित सूचना महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा प्रमुख सचिव, नियुक्ति अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को तत्काल प्रेषित करें। उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर उनकी नियुक्ति अस्थायी रूप से इस प्रतिबन्ध के साथ की जा रही है कि उन्हें निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ के निर्देश प्राप्त होने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

अभ्यर्थी जब तक सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं हो जाता है तब तक वह अस्थायी कर्मचारियों पर लागू अधिसूचना संख्या–20/1/74, नियुक्ति–3, दिनाँक 11–06–1975 में दी गयी शर्तो के अधीन रहेंगे।

अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा–भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

(9) अनुभागीय गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

JR(S)
RG 09/3/16

DR(S)/AR(S)

JR(S) 9.3.16

Sri Arvind
09.03.16
AR(S)